**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा**

पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना,आर ए एस

**अपील संख्या–आरटीए/196/2022**

**उनवान**

1. मंगीलाल पिता लालूराम भील निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. बाबू पुत्र कालू भील निवासी–बोराना, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा।
2. अम्बालाल पिता गुलाब भील, निवासी–गंगापुर तहसील–सहाड़ा।
3. कमला देवी पुत्री गुलाब भील निवासी–गंगापुर तहसील–सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. कैलाश पिता गुलाब भील, निवासी–गंगापुर तहसील–सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. घनश्याम पिता गुलाब भील निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. तुलसीराम पिता गुलाब भील निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
7. बलूराम पिता गुलाब भील निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
8. सायरी बेवा गुलाब भील निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
9. हरिशंकर पिता गुलाब भील निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

———रेस्पोडेण्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरणसंख्या 43/2020 निर्णय दिनांक 27.07.2021**

**अभिभाषक :**

1. श्री बी0एल0 गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. अनुपस्थित प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता

**आदेश**

**दिनांक 18.02.2026**

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मैलुसीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत आठ के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2606/1 रकबा 0.30 है0 स्थित है।

2. उक्त आराजी मे वादी का 1/2 हिस्सा है, अन्य प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत आठ प्रत्येक का 1/48 हिस्सा है और हिस्सेनुसार वे काबिज हे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. इस आराजी में 1/3 हिस्सा नगर पालिका गंगापुर के नाम दर्ज है, जिसका भूमि रूपान्तरण कर दिया गया है और नगर पालिका गंगापुर द्वारा उनके पट्टे भी जारी कर दिये गये है। इसलिए उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके विरूद्ध कोई दाद भी नही चाही गई है।

4. वदी की भूमि को उपजाउ बनाने और भूमि को रूपान्तरित करवाने लगान आदि जमा कराने में भारी परेशानियों का सामना करना पडता है। जिससे वादी अपने निहित 1/2 हिस्से का मिट्स एण्ड बाण्उडस के आधार पर विभाजन करवा अपने हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खुलवाना चाहता है।

5. अतः वादी की प्रार्थना है कि:– वाद पत्र की कलम नंबर एक मे अंकित आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा अपने निहित 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने एवं उसका स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने की विभाजन बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जावे।

6. सेटलमेन्ट ओपरेशन के दौरान साबिक आराजी नम्बर 471/1 के नवीन परिवर्तित आराजी नम्बर 646 रकबा 104 बीघा 03 बिस्वा

7. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण वादी का वाद स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में चली कार्यवाही में पक्षकार कायम नहीं रहे तथा अपीलाधीन आराजियात में प्रार्थी/अपीलार्थी का हित भी प्रारंभ से ही निहित होने से अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार ना होते हुए भी उक्त प्रकरण से संबंधित अपील बतौर अपीलांट पेश करने की अनुमति वास्ते यह प्रार्थनापत्र पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

10. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। अपीलाधीन प्रकरण मे पक्षकार के हक हित निहित होने से प्रार्थनापत्र 96 सी0पी0सी स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

11. अपीलार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील ठोस आधारों पर न्यायालय हाजा में पेश की गयी है जिसमें कामयाबी मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है । मामले में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 277.2021 की सर्वप्रथम जानकारी हाल ही में दिनांक 15.07.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी बाबू द्वारा धमकी दी कि मैने विभाजन करा लिया है जिस पर अपीलांट ने दिनांक 18.07.2022 को अधिनस्थ न्यायालय के यहां निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने के लिए नकल का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 21.07.2022 को नकलें प्राप्त हुई। प्रारंभिक निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 27.07.2021 से जानकारी होने तक के समय को कण्डोन कराया जाना आवश्यक है। देरी जो माकूल कारण होने से क्षम्य योग्य है को कण्डोन कराये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश है। जानकारी नहीं होने का कारण माकूल व क्षम्य योग्य है इस कारण निर्णय व आदेश दिनांक 27.07.2021 से जानकारी होने दिनांक 15.07.2022 व नकलें प्राप्त होने दिनांक 21.07.2022 तक का समय क्षम्य योग्य होने से कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार किया जाना न्यायोचित है अन्यथा प्रार्थीगण न्याय से महरूम रह जावेगा तथा अपरिमित क्षति होगी।

12. अतः निवेदन है कि अपीलार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07.2021 कानून एवं वाकयात के विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है।

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि मामले में विवादग्रस्त आराजी संख्या 2606/1 रकबा 0.30 हैक्टर ग्राम मेरुणीखेड़ा, तहसील–सहाड़ा जिला–भीलवाड़ा में स्थित है जिसके विभाजन हेतु दावा रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री बाबूलाल भील द्वारा पेश किया गया इस भूमि का अपीलांट भी खातेदार होकर अपने हिस्से पर काबिज चला आ रहा है, लेकिर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट को इस भूमि में खातेदार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया गया। इस प्रकार से अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये इस वादग्रस्त भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा अपने विभाजन के वाद को स्वीकार करवा कर प्रारंभिक डिक्री अपने पक्ष में जारी करवा ली गयी जो कानून एवं विधि के विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। यह है कि मामले में वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाये जाने के वाद में एक आवश्यक पक्षकार था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

क्योंकि अपीलांट इस वादग्रस्त भूमि का वादीसंख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9/प्रतिवादीगण के साथ–साथ सह–खातेदार था अपीलांट द्वारा तुलसीराम रेस्पोडेंट संख्या 6/प्रतिवादी का हिस्सा कय कर लिया जिससे सह–खातेदार हो जाने से अपीलांट को इस विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी वादपत्र में पक्षकार कायम न कर वाद को निर्णित किया जो विधि विरूद्ध हैं। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय एवं डिकी अपास्त होने योग्य है।

15. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि मामले में वादग्रस्त आराजी में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट सख्या 6/ प्रतिवादी तुलसीराम का हिस्सा कय कर लेने के बाद अपने कय किये गये भू–भाग पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस विभाजन को आधार मानकर इसकी आड़ में अपीलांट द्वारा कय किया गया रेस्पोडेंट संख्या 6/प्रतिवादी तुलसीराम का हिस्सा है उस पर रेस्पोडेंट्स कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि सामलाती कृषि भूमि पर सभी काश्तकारों का हक व हिस्सा होता है ऐसी स्थिति में विभाजन के बाद में सभी सह–काश्तकारों को पक्षकार कायम कर समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए जो न देकर विधि द्वारा स्थापित नियमों की अवहेलना की गई है। इस मामले में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया, ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त होने योग्य है।

16. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि मामले में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये, बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये यह निर्णय व डिकी पारित की गयी जो निरस्त होने योग्य है।

17. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि मामला कृषि भूमि के विभाजन का है तथा कृषि भूमि का विभाजन करते हुए न्यायालय को मीट्स एण्ड बाण्ड्स के बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए सभी खातेदारान को सुनवाई का अवसर देकर कब्जे काश्त के संबंध में समुचित साक्ष्य पत्रावली पर लेकर ही मामले को निर्णित करना चाहिए लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना यह निर्णय व डिकी पारित की जो निरस्त होने योग्य है ।

18. अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का य एवं प्रारंभिक डिकी दिनांक 27.07.2021 निरस्त किया जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ✱ भीलवाड़ा (राज.))

19. हमनें प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील ठोस आधारों पर न्यायालय हाजा में पेश की गयी है जिसमें कामयाबी मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है । मामले में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 277.2021 की सर्वप्रथम जानकारी हाल ही में दिनांक 15.07.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी बाबू द्वारा धमकी दी कि मैने विभाजन करा लिया है जिस पर अपीलांट ने दिनांक 18.07.2022 को अधिनस्थ न्यायालय के यहां निर्णय व डिकी की नकल प्राप्त करने के लिए नकल का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 21.07.2022 को नकलें प्राप्त हुई। प्रारंभिक निर्णय एवं डिकी दिनांकित 27.07.2021 से जानकारी होने तक के समय को कण्डोन कराया जाना आवश्यक है। देरी जो माकूल कारण होने से क्षम्य योग्य है को कण्डोन कराये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश है। जानकारी नहीं होने का कारण माकूल व क्षम्य योग्य है इस कारण निर्णय व आदेश दिनांक 27.07.2021 से जानकारी होने दिनांक 15.07.2022 व नकलें प्राप्त होने दिनांक 21.07.2022 तक का समय क्षम्य योग्य होने से कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार किया जाना न्यायोचित है अन्यथा प्रार्थीगण न्याय से महरूम रह जावेगा तथा अपरिमित क्षति होगी।

20. अतः निवेदन है कि अपीलार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे। प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त होने से न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

21. हमनें प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । बहस का मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड अनुसार पक्षकारों को विधिवत तामिल हुई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है। तामील का निस्तारण विधिवत आवाज लगाकर पत्रावली की आदेशिका पर किया गया है। प्रकरण मे प्राथमिक डिकी का निर्धारण कब्जे एवं हिस्से को ध्यान मे रखते हुए मिड्स एवं बाउण्डस के आधार पर किया गया है जिसमे किसी भी पक्षकार को कोई हानि प्रतित नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विस्तृत एवं राजस्व रेकार्ड के अनुसार है जो विधिसम्मत है। जिसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

## आदेश

अतः अपील अपलार्थी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

22. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा